

वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

क. वसूलियों तथा राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	42545.84	34744.92	77290.76	55159.81	28052.22	83212.03	58321.59	34746.58	93068.17	
पूंजी	3867.50	...	3867.50	7029.00	...	7029.00	5625.00	...	5625.00	
जोड़	46413.34	34744.92	81158.26	62188.81	28052.22	90241.03	63946.59	34746.58	98693.17	
राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान:										
आयोजना-भिन्न अनुदान										
1. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	3601	...	34392.42	34392.42	...	27599.72	27599.72	...	34394.08	34394.08
2. स्वर्ण मंदिर के विकास के लिए सहायता	3601	...	27.50	27.50	...	27.50	27.50	...	27.50	27.50
3. अरुणाचल प्रदेश सरकार को एकमुश्त अनुदान	3601	100.00	100.00
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्से के एवज़ में अनुदान	3602	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00	...	325.00	325.00
राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम:										
आयोजना-भिन्न ऋण										
5. अर्थोपाय अग्रिम										
5.01 अदायगियां	7601	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
5.02 घटाइए-वर्ष के दौरान वसूलियां	7601	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00
	निवल
6. ऋणों का रूपांतरण/बट्टे खाते में डालना										
6.01 राज्य सरकारों के बट्टे-खाते डाले गए ऋण	2075	...	5585.00	5585.00	...	6228.79	6228.79	...	5500.00	5500.00
6.02 घटाइए-निवल प्राप्तियां	0075	...	-5585.00	-5585.00	...	-5824.22	-5824.22	...	-5500.00	-5500.00
	0049	-404.57	-404.57
	निवल
राज्यों की आयोजनागत स्कीमों के लिए अनुदान/ऋण:										
7. एकमुश्त अनुदान	3601	42545.84	...	42545.84	55159.81	...	55159.81	58021.59	...	58021.59
8. एकमुश्त ऋण*	7601	3867.50	...	3867.50	7029.00	...	7029.00	5625.00	...	5625.00
9. चेन्नई में डिसालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3601	300.00	...	300.00	300.00	...	300.00
9.01 घटाइए: समाज और अवसंरचना विकास निधि से प्राप्त होने वाली राशि	3601	-300.00	...	-300.00
	निवल	300.00	...	300.00
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत										
10. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण	2245	...	1800.00	1800.00	...	1800.00	1800.00	...	2500.00	2500.00
घटाइए-आय कर/निगम कर पर अधिभार आदि	0021	...	-1800.00	-1800.00	...	-1800.00	-1800.00	...	-2500.00	-2500.00
	निवल
11. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता	2245	...	1800.00	1800.00	...	3264.70	3264.70	...	2500.00	2500.00
घटाइए-एन.सी.सी.एफ.से अंतरण द्वारा पूरी की गई राशि	8235	...	-1800.00	-1800.00	...	-3264.70	-3264.70	...	-2500.00	-2500.00
	निवल
कुल जोड़		46413.34	34744.92	81158.26	62188.81	28052.22	90241.03	63946.59	34746.58	98693.17
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
राज्य आयोजनाएं										
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	17991.98	...	17991.98	16898.98	...	16898.98	19110.61	...	19110.61
2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	4550.00	...	4550.00	11241.00	...	11241.00	7500.00	...	7500.00

सं.35/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010		
विकास शीर्ष		बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
3.	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता	43601	1293.00	...	1293.00	1550.00	...	1550.00
4.	विशेष केन्द्रीय सहायता-पर्वतीय क्षेत्र	43601	272.00	...	272.00	...	272.00	272.00	...	272.00
5.	विशेष केन्द्रीय सहायता-सीमावर्ती क्षेत्र	43601	635.00	...	635.00	...	635.00	635.00	...	635.00
6.	विशेष योजना सहायता	43601	4602.00	...	4602.00	...	4602.00	4602.00	...	4602.00
7.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	43601	5550.00	...	5550.00	...	7850.00	9700.00	...	9700.00
8.	त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम/ (एपीडीआरपी)	43601	800.00	...	800.00	...	202.97	350.00	...	350.00
9.	अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	43601	3442.24	...	3442.24	...	4442.24	5109.24	...	5109.24
10.	किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)	43601	162.77	...	162.77	...	162.77	162.77	...	162.77
11.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कारवाई योजना (एनईजीएपी)	43601	469.37	...	469.37	...	469.37	469.37	...	469.37
12.	पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि - राज्य संघटक	43601	1130.00	...	1130.00	...	1130.00	1130.00	...	1130.00
13.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)		6247.98	...	6247.98	...	10447.98	11618.62	...	11618.62
	(क) शहरी अवसंरचना एवं अभिशासन और उप-मिशन (एसएम-यूआईजी)	43601	3100.37	...	3100.37	...	4400.37	5117.26	...	5117.26
	(ख) लघु और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास (यूआईडीएसएसएमटी)	43601	879.69	...	879.69	...	3279.69	3073.56	...	3073.56
	(ग) शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाओं संबंधी उप-मिशन (एसएमबीएसयूपी)	43601	1656.54	...	1656.54	...	1656.54	2168.94	...	2168.94
	(घ) एकीकृत आवास तथा गंदी बस्ती विकास (आईएचएसडीपी)	43601	611.38	...	611.38	...	1111.38	1108.86	...	1108.86
	(ङ) राजीव अवास योजना (आएवाई)	43601	150.00	...	150.00
14.	सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम (टीआरपी)	43601	460.00	...	460.00	...	1183.00	336.98	...	336.98
15.	बृहन् मुम्बई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (त्रिमस्टोवा) मुम्बई	43601	100.00	...	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00
16.	राष्ट्रमण्डल युवा खेलकूद पुणे	43601	60.00
17.	2005-06 के दौरान बाढ़ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण	43601	1198.50
18.	चेन्नई में डीसालिनेशन प्लांट के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	300.00	...	300.00
19.	वन क्षेत्र की बहाली और पुनःरोपण के त्वरित कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	500.00	...	500.00
20.	बैंक रहित ब्लाकों में बैंक शाखाएं खोलने के लिए अवसंरचना सहायता हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	100.00	...	100.00
जोड़		46413.34	...	46413.34	62188.81	...	62188.81	63946.59	...	63946.59

इस मांग में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत राज्यों को बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर देय अनुदान; राज्य आयोजनागत स्कीमों के लिए एकमुश्त अनुदान, राज्यों को अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता हेतु प्रावधान शामिल हैं।

अन्य परियोजनाओं के लिए एसीए के अंतर्गत 1550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें मुम्बई मेट्रो परियोजना के वर्सोवा-अन्धेरी -घाटकोपर कोरीडोर के लिए 235.50 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है।

एसपीए, एससीए (पर्वतीय क्षेत्र/पश्चिमी घाट सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु) पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि और सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम आदि के लिए प्रावधान किया गया है।

एनएसएपी के अंतर्गत नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम को नया नाम अर्थात् इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड ऐज पेंशन स्कीम दिया गया था जो 19.11.2007 से प्रभावी हुआ। नई स्कीम के अंतर्गत पात्रता के मानदंड सभी 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। इसके पात्रता मानदंड में संशोधन किए जाने से एनओपीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या 165 लाख से बढ़ कर 246.35 लाख हो जाएगी।

वर्ष 2003-04 में किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी) अनुमोदित किया गया था। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना की स्कीम को वर्ष 2004-05 में अनुमोदित किया गया था। स्वर्ण मन्दिर के विकास के लिए सहायता हेतु राज्यों को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं

सं.35/राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण

के लिए राज्यों को एसीए हेतु ऋण संघटक उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की गई है।

राज्य आयोजना के अंतर्गत तीन नई योजनाएं, नामतः (1) वन आच्छादन की बहाली और पुर्नजनन के त्वरित कार्यक्रम हेतु एसीए, (ii) बैंक रहित खण्डों में बैंकों की शाखाएं खोलने हेतु आधारभूत ढांचा सहायता के लिए एसीए, और (iii) राजीव आवास योजना जेएनएन यूआरएम का भाग (5); शुरू की गई है।

राजीव आवास योजना के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के अंतर्गत शहरी आधारभूत ढांचा और अभिशासन

संबंधी सब-मिशन, लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी आधारभूत ढांचा विकास, शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा संबंधी मिशन एकीकृत आवास और मलिन बस्ती सुधार की योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

योजना में बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट (ब्रिमस्टोवा), मुंबई के और चेन्नई में डीसालिनेशन प्लांट के लिए प्रावधान किया गया है।

इस अनुदान के अंतर्गत शामिल प्रावधान राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा अंतरित संसाधनों तथा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी सरकार को केन्द्रीय करों तथा शुल्कों के हिस्से के एवज में अनुदान के अंतरण के द्योतक भी हैं।